



us.kaviniviniyam@uppcl.org
0522-2218329/2218420

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० #Document Number# कविनी एवं विनियम-29/ कम्प्यू0सं०-22532 दिनांक 23-01-2026

I-38720/2026

कार्यालय ज्ञाप

कम्पनी अधिनियम-2013 की धारा-179 तथा निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल-47, 48 एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 30प्र० पावर कारपोरेशन लि० के निदेशक मण्डल की दिनांक 12.11.2025 को सम्पन्न 216(22)वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में, 30प्र० पावर कारपोरेशन लि० मुख्यालय लिपिकीय संवर्ग कर्मचारी सेवा विनियमावली-2015 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत निम्नानुसार सीधी भर्ती के पद पर त्वरित एवं पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया अपनाये जाने हेतु, स्तम्भ-01 के अनुसार लागू अद्यतन व्यवस्था को एतद्द्वारा नवीन व्यवस्था (स्तम्भ-02) से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

अद्यतन व्यवस्था	नवीन व्यवस्था
स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विनियमावली के भाग- पांच-सीधी भर्ती की प्रक्रिया-विनियम-13 एवं 14 अनुसार:- सम्बन्धित संशोधनादेश सं० 89-विनियम/कविनी-29 /पाकालि/2017 दिनांक 03 जुलाई, 2017 के अनुसार सहायक समीक्षा अधिकारी के सीधी भर्ती से भरे जाने वाले रिक्त पदों पर चयन किये जाने हेतु विद्युत सेवा आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली लिखित परीक्षा प्रक्रिया का संक्षेप में विवरण:	वेतनमान - <u>सहायक समीक्षा अधिकारी</u> ससम् वेतन लेवल-6 (रू०-36800-116500) (4200/-ग्रेड पे) शैक्षिक योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पूर्णकालिक स्नातक की उपाधि। (अंशकालिक/दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त डिग्री मान्य नहीं होगी)। <u>सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति/चयन हेतु प्रक्रिया -</u> 1. चयन विद्युत सेवा आयोग अथवा 30प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अथवा इसी प्रकार की अन्य प्रतिष्ठित संस्था द्वारा किया जायेगा। जिस संस्था के माध्यम से भर्ती की कार्यवाही की जा रही है, इन नियमों में उसे

	भर्ती संस्था कहा जायेगा। 2. 30प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के PET Score या इसी प्रकार की राज्य अथवा केन्द्र सरकार की संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाने वाली अन्य समतुल्य परीक्षाओं के Score (जैसा कि निर्धारित किया जाय) के आधार पर अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। 3. चयन के निम्नवत् तीन चरण होंगे:- प्रथम चरण:- रक्तियों के सापेक्ष अधिकतम 10 गुना अभ्यर्थियों को उपरोक्त क्रमांक-2 में उल्लिखित परीक्षा के Score के आधार पर शार्टलिस्ट किया जायेगा। शार्टलिस्टिंग हेतु कटऑफ का निर्धारण भर्ती संस्था द्वारा किया जायेगा।
टंकण परीक्षा: हिन्दी फान्ट Kruti Dev 010 या 016 में 05 मिनट का टंकण। हिन्दी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य।	द्वितीय चरण:- शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों की 05 मिनट की टंकण परीक्षा हिन्दी में Mangal Font (Unicode) में ली जायेगी। टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य होगी।
प्रथम भाग- NIELIT के 'O' लेवल स्तर के 50 प्रश्न निर्धारित, जिनके लिये अधिकतम 50 अंको में से 20 अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा कि स्थिति में लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का	तृतीय चरण :- टंकण परीक्षा Mangal Font (Unicode) उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा ली जायेगी। 4. तृतीय चरण की लिखित परीक्षा निम्न दो भागों में विभाजित होगी:- प्रथम भाग में NIELIT के "O" लेवल स्तर के पाठ्यक्रमानुसार कम्प्यूटर ज्ञान हेतु 50 प्रश्न होंगे। कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित 50 प्रश्नों में 50 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुए

मूल्यांकन नहीं किया जाता है।	उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
द्वितीय भाग- 200 अंक के निम्नानुसार वर्गीकृत 200 प्रश्न : (1) सामान्य अध्ययन - 20 व तार्किक ज्ञान - 40 (2) सामान्य हिन्दी - 70 (3) सामान्य अंग्रेजी - 70 (प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1/4 अंक की कटौती एवं कम्प्यूटर ज्ञान में प्राप्त अंक श्रेष्ठता निर्धारण में नहीं जोड़े जाते)	द्वितीय भाग- में 150 प्रश्न निम्नानुसार होंगे : (1) सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान - 50 (2) सामान्य हिन्दी एवं व्याकरण - 50 (3) सामान्य अंग्रेजी - 50 (लिखित परीक्षा के दोनों भाग में प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 04 अंक दिये जायेंगे एवं गलत उत्तर के लिए 01 अंक की कटौती की जायेगी) 5. तृतीय चरण की लिखित परीक्षा के दोनों भागों के कुल प्राप्तांकों के आधार पर अन्तिम मेरिट तैयार की जायेगी।

(ii) सेवा विनियमावली के अन्तर्गत विद्यमान विनियमों अथवा अन्य संगत आदेशों को उक्त निर्धारित व्यवस्था के अनुक्रम में पढ़ा जायेगा। नवीन व्यवस्था के अनुपालन में उत्पन्न कठिनाईयों के निराकरण एवं साम्यपूर्ण रीति निर्धारण एवं किसी नियम के प्रवर्तन के सम्बन्ध में अध्यक्ष, 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 अधिकृत होंगे।

(iii) 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 मुख्यालय लिपिकीय संवर्ग कर्मचारी सेवा विनियमावली-2015 (यथा संशोधित) को उक्त सीमा तक संशोधित माना जायेगा। शेष अन्य प्राविधान यथावत रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से.

पत्र सं0 #Document Number# कविनी एवं विनियम-29 दिनांक 23-01-2026

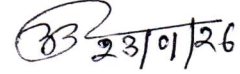
I-38720/2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0- वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0-मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0-लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0-आगरा/केस्को, कानपुर एवं यूपी0आर0ई0वी0 के निजी सचिव।
4. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

5. समस्त निदेशकगण, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अपर सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. अध्यक्ष/सचिव, विद्युत सेवा आयोग, एस०एल०डी०सी० परिसर, गोमती नगर, लखनऊ।
10. महानिदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ।
11. समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
14. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन के निदेशक मण्डल द्वारा दि० 12.11.2025 को 216(22)वीं बैठक में पारित निर्णय के अनुपालन में।
16. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाईट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
17. पत्रावली सं०-07-विनियम/18 (TC)(A.S.R/85) में अभिलेखार्थ।

आज्ञा से,



(अंजू)

अनुसचिव (काविनी एवं विनियम)